न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन- कमलेश कच्छल, एच०जे०एस०

JO Code No- UP01881

सत्र वाद संख्या- ८३७/ २०२५

सरकार **बनाम** **साहिल राजपूत आदि**

अ०सं०- २९२/ २०२४

धारा- १०९(१) , ३५२, ३५१(३) भा०न्या०सं०

एवं धारा- ३/ २५ आयुध अधिनियम

थाना- बड़ागांव, जिला- झाँसी।

आरोप

मैं **कमलेश कच्छल,** सत्र न्यायाधीश, झाँसी एतदद्वारा आप अभियुक्तगण **साहिल** एवं **रोहित दुबे उर्फ रविन्द्र** पर निम्न आरोप लगाती हूँ कि-

१- यह कि घटना दिनांक - ०५. १०. २०२४ को समय रात्रि करीब ०१. २० बजे, स्थान- मकान वादिया स्थित बहद ग्राम बराटा, अन्तर्गत थाना- बड़ागांव, जिला- झाँसी में आप लोगों ने वादिया मुकदमा केशकली व उसके पुत्रों पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। यदि आप लोगों के उक्त कृत्य से वादिया मुकदमा केशकली या उसके पुत्रों की मृत्यु हो जाती, तो आप लोग हत्या के अपराध के दोषी होती। इस प्रकार आप लोगों ने वादिया मुकदमा व उसके पुत्रों की हत्या करने का प्रयास किया। आप लोगों का यह कृत्य **भारतीय न्याय संहिता** की धारा- **१०९(१)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

२- यह कि उपरोक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगो ने वादिया मुकदमा व उसके पुत्रों को गन्दी- गन्दी गालियाँ देते हुए अपमानित कर लोक शांति भंग करने हेतु उनको प्रकोपित किया है। आप लोगों का यह कृत्य **भारतीय न्याय संहिता** की **धारा- ३५२** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

३- यह कि उपरोक्त घटना दिनांक, समय, स्थान पर आप लोगो ने वादिया मुकदमा केशकली व उसके पुत्रों को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। आप लोगों का यह कृत्य **भारतीय न्याय संहिता** की **धारा- ३५१(३)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

मैं एतद द्वारा आप लोगों को निर्देश देती हूं कि उपरोक्त आरोपो पर आप लोगों का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनांक- १५. ०७. २०२५

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

अभियुक्तगण उपस्थित है, आरोप उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने उक्त आरोपो से इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनांक- १५. ०७. २०२५

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन- कमलेश कच्छल, एच०जे०एस०

JO Code No- UP01881

सत्र वाद संख्या- ८३७/ २०२५

सरकार **बनाम** **साहिल राजपूत आदि**

अ०सं०- २९२/ २०२४

धारा- १०९(१) , ३५२, ३५१(३) भा०न्या०सं०

एवं धारा- ३/ २५ आयुध अधिनियम

थाना- बड़ागांव, जिला- झाँसी।

आरोप

मैं कमलेश कच्छल, सत्र न्यायाधीश, झाँसी एतदद्वारा आप अभियुक्त **साहिल** पर निम्न आरोप लगाती हूँ कि-

१- यह कि दिनांक ०५. १०. २०२४ को समय करीब १७. १० बजे, स्थान- डायमण्ड फैक्ट्री चौराहा से बराठा घाट जाने वाले रोड पर, निर्माणाधीन सत्येन्द्र दुबे के मकान के पीछे बहद ग्राम बराठा, अन्तर्गत थाना- बड़ागाँव, जिला- झाँसी के क्षेत्राधिकार में पुलिस पार्टी द्वारा आपको पकड़ा गया तथा आपके पास से एक अदद कारतूस ३१५ बोर बरामद हुआ, जिसको रखने का लाईसेन्स आप नहीं दिखा सके। इस प्रकार आपका यह कृत्य **आयुध अधिनियम** की धारा- **३/ २५** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

मैं एतद द्वारा आपको निर्देश देती हूं कि उपरोक्त आरोप पर आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनांक- १५. ०७. २०२५

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

अभियुक्त उपस्थित है, आरोप उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनांक- १५. ०७. २०२५

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन- कमलेश कच्छल, एच०जे०एस०

JO Code No- UP01881

सत्र वाद संख्या- ८३७/ २०२५

सरकार **बनाम** **साहिल राजपूत आदि**

अ०सं०- २९२/ २०२४

धारा- १०९(१) , ३५२, ३५१(३) भा०न्या०सं०

एवं धारा- ३/ २५ आयुध अधिनियम

थाना- बड़ागांव, जिला- झाँसी।

आरोप

मैं कमलेश कच्छल, सत्र न्यायाधीश, झाँसी एतदद्वारा आप अभियुक्त **रोहित दुबे उर्फ रविन्द्र** पर निम्न आरोप लगाती हूँ कि-

१- यह कि दिनांक ०५. १०. २०२४ को समय करीब १७. १० बजे, स्थान- डायमण्ड फैक्ट्री चौराहा से बराठा घाट जाने वाले रोड पर, निर्माणाधीन सत्येन्द्र दुबे के मकान के पीछे बहद ग्राम बराठा, अन्तर्गत थाना- बड़ागाँव, जिला- झाँसी के क्षेत्राधिकार में पुलिस पार्टी द्वारा आपको पकड़ा गया तथा आपके पास से , हत्या के प्रयास में प्रयुक्त एक अदद तमंचा ३१५ बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस ३१५ बोर बरामद हुआ, जिसको रखने का लाईसेन्स आप नहीं दिखा सके। इस प्रकार आपका यह कृत्य **आयुध अधिनियम** की धारा- **३/ २५** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

मैं एतद द्वारा आपको निर्देश देती हूं कि उपरोक्त आरोप पर आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनांक- १५. ०७. २०२५

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

अभियुक्त उपस्थित है, आरोप उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनांक- १५. ०७. २०२५

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन- कमलेश कच्छल, एच०जे०एस०

JO Code No- UP01881

सत्र वाद संख्या- ८३७/ २०२५

सरकार **बनाम** **साहिल राजपूत आदि**

अ०सं०- २९२/ २०२४

धारा- १०९(१) , ३५२, ३५१(३) भा०न्या०सं०

एवं धारा- ३/ २५ आयुध अधिनियम

थाना- बड़ागांव, जिला- झाँसी।

आदेश

दिनांक- १५. ०७. २०२५

१- पुकार पर अभियुक्त **साहिल** जिला कारागार से जेरे हिरासत व अभियुक्त **रोहित दुबे उर्फ रविन्द्र** जेरे जमानत उपस्थित है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित हैं।

२- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह कथन किया है कि वह अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये अभियोग को किस- किस साक्ष्य से प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना करते है। जबकि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्तगण को झूठा फंसाये जाने व उनके द्वारा कोई अपराध कारित न किये जाने का कथन कर मामले में उन्हें उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई।

३- मैंने अभियोजन कथानक एवं समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

४- उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन उपरान्त मैं इस अभिमत की हूं कि मामले में ऐसी उपधारणा करने का प्रथम दृष्टया आधार उपलब्ध है कि अभियुक्तगण साहिल राजपूत एवं रोहित दुबे उर्फ रविन्द्र ने धारा- १०९(१) , ३५२, ३५१(३) भारतीय न्याय संहिता, २०२३ एवं धारा- ३/ २५ आयुध अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया है और उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत उनका परीक्षण करने का पर्याप्त आधार है।

५- अतएव एतदद्वारा मैं यह निर्देश देती हूं कि अभियुक्तगण साहिल राजपूत एवं रोहित दुबे उर्फ रविन्द्र के विरूद्ध धारा- १०९(१) , ३५२, ३५१(३) भारतीय न्याय संहिता, २०२३ एवं धारा- ३/ २५ आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाये। पृथक से आरोप विरिचत किया गया व अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपों को अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की। फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही अग्रसारित की गयी।

६- पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक- २८. ०७. २०२५ को पेश हो। साक्षी नियमानुसार तलब हो।

दिनांक- १५. ०७. २०२५

(कमलेश कच्छल)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।